

Crime-I
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुकाम खीं वसर जिला नागौर

मागीदेवी बनाम सारादेवी


किस्म मुकदमा...राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर.टी.एक्ट नं. 09 सन्. 2016.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व
तारीख
अहकाम की
तामील में
जारी हुए

3/2/16

वादी ने जरीये वकील प्रतिवादीण के विरुद्ध राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावे । मिशाल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 14.03.2016 को पेश हो ।


सहायक कलक्टर
खीं वसर


14.3-16

पुनः वाकील पेश / वकील वारी
उपरी मिल के तलब के तलब
मिल के मिल - 13/3/16
मिले रहे थे / 

सहायक कलक्टर
(SDO), खीं वसर

9/5/16

शुद्धा व उसक काल उपस्थित / विपक्ष
उपस्थित / अनुपस्थित। प्रकरण को लोक
अदालत में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत ह
अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जातः
है। पक्षकारान दिनांक 14/3/16 के
शोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें -


सहायक कलक्टर
खीं वसर

14/5/16

उक्त प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय
आपके द्वार, केम्ब कोर्ट ग्राम पंचायत...
में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकार...
राजीनामा करने हेतु समझा...
पक्षकारों के मध्य...
सहमति नहीं हो पाई। अतः...
दिनांक 22/9/16...का


पीठासीन अधिकारी
न्याय आपके द्वार
केम्ब कोर्ट...


मागी देवी Vs लाटा देवी

शासन घाट U/S
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
53, 88) 188 RT Det

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

1-11-22

पत्रावली पेश, वसुलाया उपस्थित
प्रतिवादीगण को धार-2 मंदाज दी जाती
होगा और धाजिर, धार-धार आवाज
देने के पश्चात भी कोई अपराधीगण
उपरिचर नहीं उठा उनके विरुद्ध एक
पक्षीय कार्यवाही अफसले के तामी अफ्री
धार-धार आवाज देने के पश्चात भी
कोई भी उपरिचर नहीं देने के कारण
इसका वाद को अदम पेशी-अदम
हाजरी के खारिज किया गया।
पत्रावली फेशल सुमार लेकर
नम्बर को 53 मंडर वाद जाहा
लाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) खीवसर